In case of scheduled operators aircraft are insured and the loss of aircraft is only notional.

(c) Investigation have been completed in 36 cases and 28 reports have been accepted for public release.

(d) Based on the findings and recommendations contained in the investigation report, directions are issued by DGCA to prevent such accidents in future. Government also periodically reviews action taken.

Use of Plastics in Agriculture

@1500. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that plastic culture, i. e. the use of plastic in agriculture, may well signal major revolution in the farm sector; and

(b) if so the details thereof?

THE (MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) and (b) The use of plastics in agriculture, termed as plasticulture, is the latest technique for better management of water resources and increasing agificulituiral, productivity. The various plasticulture applications have been identified, such as plastic films for lining of canals, ponds and reservoirs etc. to eliminate seepage; drip irrigation system for optimum use of water leading to increased yield; packaging of fruits and vegetables in plastic crates thereby saving forest resources; and use of plastic film for outdoor storage of foodgrain. The other important plasticulture applications are nursery bags for seedlings, plastic greenhouses, mulching with plasticfilm, plastic microspringlers, plastic pipes etc.

@Previously Unstarred Question 1336 transferred from the 23rd March, 1990.

पान मसाला के हानिकारक प्रभावों के संबंध में अध्ययन

1501. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 7 मार्च, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1349 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान मसाला के विभिन्न ब्रांडों के संबंध में नियंत्रित रोग विज्ञानीय अध्ययन पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) अहमदाबाद द्वारा पान मसाले का रासायनिक विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट 153, अनुपत्र सं० 65] राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद में पान मसाले के प्रतिनिधि ब्रांड के प्रायोगिक मूल्यांकन का कार्य चल रहा है । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, अब तक किए गए अध्ययनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पान मसाले से शायद इसके संघटकों अर्थात् सुपारी, कत्था के कारण मुख का कैंसर हो सकता है । सरकार का यह प्रस्ताव है कि पान मसाले के प्रत्येक पैकेट और इससे संबंधित विज्ञापन पर निम्नलिखित चेतावनी साफ अक्षरों में लिखी जाए, अर्थात् :—

"प्रतिदिन 4 ग्राम से अधिक पान मसाले का सेवन हानिकारक हो सकता है।"